मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-15.02.2018 को अपराह्न 03.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि यह बैठक मुख्य रूप से सभी विभागों में लम्बित CWJC/MJC/LPA/SLP मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित CWJC/MJC/LPA/SLP में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा गत माह में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर CWJC/MJC/LPA/SLP मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया गया। सभी विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन के अनुसार गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध कुल 1141 नए मामले दायर किए गए तथा कुल 880 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि नए दायर मामलों की अपेक्षा काफी कम मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की इस कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **योजना एवं विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा के क्रम में MJC के लंबित मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में **ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जल संसाधन विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

3. CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित विभागों के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चर्चा की गई :-

CWJC			
विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	823	17	806
सहकारिता विभाग	167	6	161
पंचायती राज विभाग	343	15	328
कृषि विभाग	186	10	176
पथ निर्माण विभाग	157	14	143

कृ0पृ0उ0

MJC (अवमाननावाद)			
विभाग का नाम	कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामले	कारणपृच्छा दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
समाज कल्याण विभाग	17	0	17
ग्रामीण विकास विभाग	10	0	10
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	61	1	60
लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग	32	3	29
नगर विकास एवं आवास विभाग	77	8	69

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उक्त संबंधित विभागों के प्रदर्शन पर खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ- पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित मामलों की संख्या में विगत माह की अपेक्षा बढ़ोतरी हो रही है। इस माह सभी विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार के विरुद्ध CWJC/ MJC/LPA/SLP के कुल 26901 मामले लंबित है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा विधि विभाग को निर्देश दिया गया है कि लंबित मामलों की संख्या उचित माध्यम से सत्यापित किया जाय।

5. कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार उनके विभाग में CWJC के 186 मामले गत माह लंबित है जिनमें से मात्र 10 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इस संबंध में प्रधान सचिव, कृषि विभाग के द्वारा बताया गया कि उक्त शेष लंवित मामलों में से अधिकांश मामलों में तथ्य विवरणी संबंधित अधिवक्ता को उपलब्ध कराया गया है तथा उनके द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में विलंब किया जाता है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे अधिवक्ताओं की विवरणी अपेक्षित तथ्य के साथ उपलब्ध करायी जाय ताकि संभव हो तो उन अधिवक्ताओं पर कार्रवाई की जा सके।

6. समीक्षा के क्रम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक लंबित मामले **शिक्षा विभाग (1019 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (806 मामले), स्वास्थ्य विभाग (589 मामले), पंचायती राज विभाग (328 मामले) एवं समाज कल्याण विभाग (314 मामल)** के पाये गये। इसी प्रकार MJC के मामले में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु सर्वाधिक लंबित मामले **शिक्षा विभाग (142 मामले), नगर विकास एवं आवास विभाग (69 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (60 मामले), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (29 मामले) एवं कृषि विभाग (19 मामले)** के पाये गये। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

7. बैठक में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि महाधिवक्ता, बिहार के साथ हुई एक बैठक में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले मामलों एवं इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर त्वरित कार्रवाई हेतु महाधिवक्ता कार्यालय में राज्य सरकार की ओर से एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध महाधिवक्ता, बिहार द्वारा किया गया था। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विद्वान महाधिवक्ता के उक्त अनुरोध के आलोक में

महाधिवक्ता कार्यालय में दो प्रशाखा पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया। प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के अनुसार उक्त नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई अब तक नही हो पायी है। उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

8. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया कि विभागीय कार्यवाही के मामलें की माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती होने पर Procedural Defect (प्रक्रियात्मक दोष) के आधार पर खारिज हो जाता है, जो चिन्ता का विषय है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया कि विभागीय कार्यवाही में प्रशासी विभाग के द्वारा कौन-कौन कदम उठाना अपेक्षित होता है, इससे संबंधित दिशा निर्देश तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाय ताकि भविष्य में विभागीय कार्रवाई के मामले में कोई त्रुटि नही रहे।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/2239**जे0** **पटना, दिनांक-**06-03-18

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/2239**जे0** **पटना, दिनांक-**06-03-18

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।